सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं का विवरण नहीं किया जाएगा प्रकाशित

[स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स](#)

हाल ही में **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित **पर्यावरणीय मंज़ूरी** प्राप्त परियोजनाओं का विवरण इसके **परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।**

- परियोजना का प्रसंस्करण **PARIVESH 2.0 के माध्यम से होगा** किंतु **सुरक्षा-संबंधी परियोजनाओं का विवरण** पोर्टल पर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा **और सार्वजानिक रूप से यह अप्राप्य होगा।**
- **वर्ष 2023 में संशोधित** वन संरक्षण अधिनियम, 1980, **के अंतर्गत विशिष्ट परियोजनाओं को** वन मंज़ूरी प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट प्रदान की गई जो निम्नवत है:
  - अंतरराष्ट्रीय सीमाओं अथवा नियंत्रण रेखा/वास्तविक नियंत्रण से **100 किमी. के भीतर** स्थित राष्ट्रीय महत्त्व की **रणनीतिक अनुरेखीय परियोजनाएँ (सड़क, रेल इत्यादि)।**
  - **10 हेक्टेयर तक** की वन भूमि से संबंधित **सुरक्षा संबंधी आधारिक संरचना परियोजनाएँ।**
  - वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित ज़िलों में **5 हेक्टेयर वन भूमि** से संबंधित सुरक्षा संबंधी और जनोपयोगी संबंधी आधारिक संरचना परियोजनाएँ।
  - **सड़क/रेल सुविधाओं** तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने हेतु 0.1 हेक्टेयर की **वन-भूमि की आवश्यकता वाली परियोजनाएँ।**
- **परिवेश 2.0, वेब-आधारित एप्लीकेशन** है जिसका उपयोग पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्रों **के लिये** मंज़ूरी प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन **प्रस्ताव** करने और उनको **ट्रैक** करने के लिये किया जाता है।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA)

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) संभावित पर्यावरणीय प्रभावों की भविष्यवाणी और समाधान करने के लिये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग के शुरुआती चरणों में किया गया एक अध्ययन है।

- **वैधानिक स्थिति:** पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (EIA को अनिवार्य बना दिया गया)
- **नोडल मंत्रालय:** पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)
- **परियोजना वर्गीकरण:** वर्ष 2006 की EIA अधिसूचना में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वर्गीकृत किया गया है:
- **A-श्रेणी प्रोजेक्ट:** MoEF&CC से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) की आवश्यकता
- **B-श्रेणी प्रोजेक्ट:** राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकार से पूर्व EC की आवश्यकता।
  - **B1-श्रेणी प्रोजेक्ट** (EIA की आवश्यकता अनिवार्य है)
  - **B2-श्रेणी प्रोजेक्ट** (EIA की आवश्यकता नहीं है)

प्रोजेक्ट्स की 39 श्रेणियाँ हैं, जिनके लिये पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और ये EIA के अधीन हैं।

EIA अधिसूचना, 2006 के अनुसार EIA प्रक्रिया

चरण	उद्देश्य	द्वारा किया गया
स्क्रीनिंग	EIA की आवश्यकता	राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) (श्रेणी-B)
स्कोपिंग	EIA के लिये महत्त्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करता है	EAC के साथ MoEF&CC द्वारा मानक संदर्भ अवधि (ToR) तैयार की गई/श्रेणी-B प्रोजेक्ट्स के लिये SEAC
सार्वजनिक परामर्श	प्रभावित लोगों की चिंताओं का समाधान करता है	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB)/UT प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UTPCB)
प्रोजेक्ट्स की समीक्षा	अंतिम EIA रिपोर्ट/पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की जाँच	श्रेणी A प्रोजेक्ट्स के लिये EAC और श्रेणी B1 प्रोजेक्ट्स के लिये SEAC
निर्णय लेना	पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्रदान करना	श्रेणी A: MoEF&CC श्रेणी B: राज्य EIA प्राधिकरण (SEIAA)
निगरानी (EC के बाद)	सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का अनुपालन	SPCB / UTPCB और क्षेत्रीय कार्यालय

EC के लिये सरकारी पहल

- **परिवेश (परिवेश इंटरएक्टिव और सदाचारी पर्यावरण सिंगल विंडो हब द्वारा प्रो-एक्टिव रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन):** EC के लिये सिंगल विंडो सिस्टम
  - **MoEF&CC और राष्ट्रीय सूचना केंद्र (NIC)** द्वारा विकसित।
- **पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS):** पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित जानकारी एकत्र करना, एकत्रण, भंडारण करना, पुनः प्राप्त करना और प्रसारित करना।
- **पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2020 का मसौदा:** मौजूदा EIA अधिसूचना, 2006 को परिवर्तित करने के लिये MoEF&CC द्वारा प्रकाशित।

Drishti IAS

//

और पढ़ें: [परयावरणीय प्रभाव आकलन]

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/non-publication-of-details-of-security-projects